

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] No. 273] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2009/वैशाख 22, 1931 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2009/VAISAKHA 22, 1931

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2009

सा.का.नि. 317(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 की सं. 27) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 12 मई, 2009 से विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना को अधिसचित करती है।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा. सं. एवी. 20036/61/2008-एएआई]

अरुण मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2009

G.S.R. 317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (No. 27 of 2008), the Central Government hereby notifies the establishment of the Airports Economic Regulatory Authority with effect from 12th May, 2009.

2. The head office of the Authority shall be at New Delhi.

[F. No. AV. 20036/61/2008-AAI] ARUN MISHRA, Jt. Secy.